

मान्यवर श्री कांशीराम जी सांस्कृतिक स्थल

पासी किला चौराहा, आशियाना, लखनऊ।

(स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों व उपवनों आदि की प्रबन्धन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति, लखनऊ)

website:-www.smaraksamiti.org

e-mail id:-managersanskritik@gmail.com

विज्ञापन सं०: 04 / मा०का०सा०स्थ० / ऑफर आमंत्रण / 2025-26

दिनांक : 25/08/2025

मान्यवर श्री कांशीराम जी सांस्कृतिक स्थल में

वर्ष: 2025-26 में इम्पैनलमेन्ट हेतु ऑफर आमंत्रण सूचना

मान्यवर श्री कांशीराम जी सांस्कृतिक स्थल, लखनऊ में वैवाहिक कार्यक्रमों, संगोष्ठी, सम्मेलन, समारोह आदि हेतु टेण्ट/कैटरिंग/विद्युत अलंकरण/लाइट एवं साउण्ड/पुष्प अलंकरण के कार्यों के लिए दक्ष/विशेषज्ञ फर्मों से पंजीकरण हेतु दिनांक 15.10.2025 को मुद्रांकित ऑफर आमंत्रित की जाती हैं, जो उक्त तिथि तक मान्यवर श्री कांशीराम जी सांस्कृतिक स्थल में रखे सील्ड बाक्स में डाली जा सकती हैं।

ऑफर का विस्तृत विवरण स्मारक समिति की वेबसाइट "http://www.smaraksamiti.co.in" अथवा मान्यवर श्री कांशीराम जी सांस्कृतिक स्थल के प्रबन्धक कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं।

प्रबन्धक,

मान्यवर श्री कांशीराम जी सांस्कृतिक स्थल
लखनऊ

(अभिनव सिंह)

प्रबन्धक

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य-सचिव महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. मुख्य प्रबन्धक महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
3. प्रबन्धक (प्रशासन) महोदय को सादर सूचनार्थ।
4. प्रबन्धक (वित्त) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. प्रभारी, जनसम्पर्क अधिकारी, स्मारक समिति को इस आशय से कि उपरोक्त ऑफर आमंत्रण सूचना किन्हीं दो समाचार पत्रों में विज्ञापित/सूचना प्रकाशित कराते हुए एक प्रतिलिपि अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- ✓ 6. सर्वर एवं नेटवर्क इंजीनियर को इस आशय से कि उपरोक्त ऑफर आमंत्रण सूचना एवं सामान्य नियम एवं शर्तें स्मारक समिति की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

कार्यालय सर्वर एवं नेटवर्क इंजी०

पत्र/पत्रावली सं०.....30.....

प्राप्ति तिथि..26/08/2025...

संलग्नक.....

(अभिनव सिंह)

प्रबन्धक

2508-25

मान्यवर श्री कांशीराम जी सांस्कृतिक स्थल, लखनऊ में
वर्ष: 2025-26 में इम्पैनलमेन्ट हेतु सामान्य नियम एवं शर्तें

1. आफरदाता को टेन्ट के कार्य एवं फूलों की साज-सज्जा से सम्बन्धित कार्य का 03 वर्ष का अनुभव तथा गत 03 वर्ष का औसत वार्षिक टर्नओवर रु0 80 लाख प्रतिवर्ष होना चाहिए। आफर के साथ “स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों व उपवनों आदि की प्रबन्धन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति, लखनऊ के खाता संख्या-0294000110073467” के पक्ष में देय व्यवहरण शुल्क के रूप में रु0 50,000.00 मात्र का बैंक ड्राफ्ट तथा इम्पैनलमेन्ट के समय स्मारक समिति के पक्ष में रु0 3.00 लाख मात्र की प्रतिभूति राशि जमा किया जाना होगा। फर्म द्वारा किये जाने वाले पृथक-पृथक लॉन हेतु प्रत्येक 24 घण्टे के लिए आयोजन हेतु रु0 25,000.00 उपभोग शुल्क का भुगतान किया जायेगा।
2. आफरदाता को जलपान गृह/रेस्टोरेन्ट के संचालन/कैटरिंग के कार्य का 03 वर्ष का अनुभव तथा गत 03 वर्ष का औसत वार्षिक टर्नओवर रु0 01.00 करोड़ प्रतिवर्ष होना चाहिए। आफर के साथ “स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों व उपवनों आदि की प्रबन्धन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति, लखनऊ के खाता संख्या-0294000110073467” के पक्ष में देय व्यवहरण शुल्क के रूप में रु0 50,000.00 मात्र का बैंक ड्राफ्ट तथा इम्पैनलमेन्ट के समय स्मारक समिति के पक्ष में रु0 2.50 लाख मात्र की प्रतिभूति राशि जमा किया जाना होगा। फर्म द्वारा किये जाने वाले पृथक-पृथक लॉन हेतु प्रत्येक 24 घण्टे के लिए आयोजन हेतु रु0 30,000.00 उपभोग शुल्क का भुगतान किया जायेगा।
3. आफरदाता को विद्युत अलंकरण/लाइट/साउण्ड सिस्टम के कार्य का 03 वर्ष का अनुभव तथा गत 03 वर्ष का औसत वार्षिक टर्नओवर रु0 30.00 लाख प्रतिवर्ष होना चाहिए। आफर के साथ “स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों व उपवनों आदि की प्रबन्धन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति, लखनऊ के खाता संख्या-0294000110073467” के पक्ष में देय व्यवहरण शुल्क के रूप में रु0 20,000.00 मात्र का बैंक ड्राफ्ट तथा इम्पैनलमेन्ट के समय स्मारक समिति के पक्ष में रु0 1.50 लाख मात्र की प्रतिभूति राशि जमा किया जाना होगा। फर्म द्वारा किये जाने वाले पृथक-पृथक लॉन हेतु प्रत्येक 24 घण्टे के लिए आयोजन हेतु रु0 20,000.00 उपभोग शुल्क का भुगतान किया जायेगा।
4. इम्पैनलड फर्म द्वारा निर्धारित उपभोग शुल्क आयोजन तिथि से एक सप्ताह पूर्व पार्क/परिक्षेत्र के कार्यालय में भुगतान किये जाने हेतु बाध्य रहेंगे।
5. विद्युत आपूर्ति हेतु आवश्यक लोड के अनुसार अस्थायी कनेक्शन अथवा जनरेटर की व्यवस्था इम्पैनलड फर्म द्वारा स्वयं की जाएगी। विद्युत संयोजन हेतु कार्यक्रम स्थल तक अपनी केबल स्वयं डालते हुये कन्ट्रोल पैनल भी लगाना होगा।
6. आफरदाता को किसी संस्था/विभाग द्वारा व्यापार करने के लिए प्रतिबन्धित अथवा कालीसूची में सम्मिलित न होने का रु0-10/- के नान-ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र देय होगा, जो कि आफर प्रपत्रों के साथ उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
7. आफर के साथ व्यवहरण धनराशि जमा करनी होगी, जो वापस नहीं की जायेगी। अनुभव का विवरण, गत 03 वर्ष के टर्नओवर का विवरण (बैलेन्स शीट), आई.टी.आर. की प्रतियों तथा सम्बन्धित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। आफरदाता द्वारा गत 05 वर्ष की अवधि में किये गये प्रमुख आयोजनों के फोटोग्राफ संलग्न किये जायेंगे।
8. इम्पैनलमेन्ट 03 वर्ष की अवधि हेतु मान्य होगा। इस अवधि में फर्म द्वारा संतोषजनक रूप से कार्य किये जाने के आधार पर इम्पैनलमेन्ट की अवधि पूर्ण होने के उपरान्त जमा प्रतिभूति धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
9. इम्पैनलड फर्मों द्वारा पार्क/परिक्षेत्र के साथ अनुबन्ध भी निष्पादित किया जायेगा तथा पैनल का नवीनीकरण संतोषजनक सेवा के दृष्टिगत ही किया जायेगा।
10. अनुबन्ध से पूर्व जमानत धनराशि R.T.G.S. के माध्यम से “स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों व उपवनों आदि की प्रबन्धन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति, लखनऊ के खाता संख्या-0294000110073467” के पक्ष में जमा करनी होगी। अनुबन्ध हो जाने के उपरान्त ही कार्यादेश निर्गत किया जायेगा। कार्यादेश की तिथि के पहले कोई भी कार्यक्रम हेतु अनुमति देय नहीं होगी।
11. इम्पैनलड फर्म द्वारा निर्दिष्ट लॉन के अतिरिक्त परिसर के किसी अन्य लॉन/क्षेत्र का उपयोग नहीं किया जायेगा। बुकिंग की अवधि के अतिरिक्त परिसर में सजावट सामग्री आदि का संग्रहण नहीं किया जायेगा।

(जवाहर खान)
सहायक प्रबन्धक

(अनिल कुमार सिंह)
सहायक प्रबन्धक

प्रबन्धक
मान्यवर श्री कांशीराम जी
सांस्कृतिक स्थल लखनऊ

12. बुकिंग के दिन प्रातः 10:00 बजे के बाद ही सामग्री लाने की अनुमति होगी तथा प्रत्येक दशा में बुकिंग के अगले दिन प्रातः 10:00 बजे तक लॉन खाली करना होगा, अन्यथा प्रति विलम्बित घण्टे हेतु पार्क/परिक्षेत्र द्वारा रु0 3,000.00 प्रत्येक घण्टे धनराशि की वसूली की जायेगी।
13. कार्यक्रम के दौरान यह सुनिश्चित किया जायेगा कि लॉन, किचन शेड, शौचालयों के फिक्चर्स एवं विद्युत उपकरणों आदि को कोई क्षति न हो, तथापि यदि परिसम्पत्तियों को किसी प्रकार की क्षति होती है, तो पार्क/परिक्षेत्र द्वारा किये गये आकलन के अनुसार उसकी प्रतिपूर्ति सम्बन्धित फर्म द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
14. आयोजन/कार्यक्रम के फलस्वरूप उत्पन्न कूड़ा-कचरा, गन्दगी, सैप्टिक टैंक एवं सीवर को साफ करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित फर्म का होगा तथा फर्म द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा।
15. स्मारक समिति के कार्यक्रम/आयोजनों पर इम्पैनल्ड फर्मों द्वारा सेवा देने पर नियमानुसार उपभोग शुल्क से छूट प्राप्त होगी।
16. इम्पैनल्ड फर्म द्वारा स्मारक के स्थाई मूल स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। स्मारक के किसी भाग में कील आदि का प्रयोग नहीं किया जायेगा अथवा ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई जायेगी, जिससे स्थल के विरूपित व क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना हो।
17. यदि आयोजक व इम्पैनल्ड फर्म के मध्य किसी भी तरह का वाद-विवाद उत्पन्न होता है, तो ऐसी दशा में पार्क/परिक्षेत्र का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। इसके अतिरिक्त यदि इम्पैनल्ड फर्मों का आपस में किसी प्रकार का वाद-विवाद होता है, तद्दशा में भी पार्क/परिक्षेत्र का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
18. उपरोक्त नियम व शर्तों अथवा शुल्क में यदि कोई परिवर्तन/संशोधन/पुनरीक्षण किये जाने की दशा में इम्पैनल्ड फर्म को मान्य होगी।
19. यदि आयोजन/कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की कोई जन-धन की क्षति होती है तो सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित फर्म का होगा स्मारक समिति किसी भी विधिक, वित्तीय या अन्य प्रकार की क्षति हेतु उत्तरदायी नहीं होगी।
20. किसी भी प्रकार के प्रकरण में व्यवधान उत्पन्न होने की दशा में मुख्य प्रबन्धक, स्मारक समिति का ही अन्तिम निर्णय मान्य होगा।
21. स्मारक समिति से किसी भी प्रकार के वाद-विवाद की स्थिति में न्यायालय का क्षेत्राधिकार लखनऊ होगा।

इम्पैनलमेन्ट हेतु निर्धारित अर्हतायें

क्र० सं०	अर्हता	टेन्ट की व्यवस्था एवं पुष्प अलंकरण/साज-सज्जा	कैटरिंग के कार्य	विद्युत अलंकरण/लाईट/ साउण्ड सिस्टम हेतु
1	सम्बन्धित कार्य का अनुभव	03 वर्ष	03 वर्ष	03 वर्ष
2	03 वर्ष का टर्नओवर	औसत रु0 80.00 लाख प्रतिवर्ष	औसत रु0 01.00 करोड़ प्रतिवर्ष	औसत रु0 30.00 लाख प्रतिवर्ष
3	व्यवहरण शुल्क	रु0 50,000.00	रु0 50,000.00	रु0 20,000.00
4	प्रतिभूति	रु0 3.00 लाख	रु0 2.50 लाख	रु0 1.50 लाख
5	सम्बन्धित कार्यों का 03 वर्ष की अवधि में किये गये प्रमुख आयोजनों के फोटोग्राफ	सम्बन्धित कार्यों का 03 वर्ष की अवधि में किये गये प्रमुख आयोजनों के फोटोग्राफ	सम्बन्धित कार्यों का 03 वर्ष की अवधि में किये गये प्रमुख आयोजनों के फोटोग्राफ	सम्बन्धित कार्यों का 03 वर्ष की अवधि में किये गये प्रमुख आयोजनों के फोटोग्राफ
6	गत् 05 वर्ष का आई.टी.आर.	गत् 05 वर्ष का आई.टी.आर.	गत् 05 वर्ष का आई.टी.आर.	गत् 05 वर्ष का आई.टी.आर.
7	बैलेन्स शीट पर सी.ए. का यू. डी.आई.एन.नं०	बैलेन्स शीट पर सी.ए. का यू.डी.आई.एन.नं०	बैलेन्स शीट पर सी.ए. का यू.डी.आई.एन.नं०	बैलेन्स शीट पर सी.ए. का यू.डी.आई.एन.नं०
8	एम.एस.एम.ई. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अथवा फूड्स लाइसेंस एवं लेबर लाइसेंस संलग्न	एम.एस.एम.ई. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अथवा फूड्स लाइसेंस एवं लेबर लाइसेंस संलग्न	एम.एस.एम.ई. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अथवा फूड्स लाइसेंस एवं लेबर लाइसेंस संलग्न	एम.एस.एम.ई. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अथवा फूड्स लाइसेंस एवं लेबर लाइसेंस संलग्न
9	दो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र	दो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र	दो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र	दो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र
10	सम्बन्धित फर्म का जी०एस०टी० सर्टिफिकेट एवं पेन कार्ड	सम्बन्धित फर्म का जी०एस०टी० सर्टिफिकेट एवं पेन कार्ड	सम्बन्धित फर्म का जी०एस०टी० सर्टिफिकेट एवं पेन कार्ड	सम्बन्धित फर्म का जी०एस०टी० सर्टिफिकेट एवं पेन कार्ड

(जावेद खान)
सहाय प्रबन्धक

(अनिल कुमार सिंह)
सहाय प्रबन्धक

प्रबन्धक
मान्यवर श्री काशीराम जी
सांस्कृतिक स्थल लखनऊ